

**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर**

क्रमांक :- 3735

दिनांक :- 16/9/24

**कार्यालय-आदेश**

मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह अक्टूबर, 2024 में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ -

**माह अक्टूबर, 2024**

क्र० स०	दिनांक	पीठासीन अधिकारी-का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	02-10-2024	Mr. Purushottam Mishra	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, अलवर	9953860811
2.	03-10-2024	Mrs. Shivani	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी	9571899969
3.	06-10-2024	Mr. Harshit Sharma	अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	9413579055
4.	11-10-2024	Ms. Neetu Rani	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी	8890301921
5.	12-10-2024	Mr. Naveen Singh Gurjar	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ	9549925800
6.	13-10-2024	Mr. Dev Karan Gurjar	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड	9784244927
7.	20-10-2024	Mr. Suyash	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर	7976762565
8.	26-10-2024	Ms. Kanta Kumari	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धानागाजी	7891247026
9.	27-10-2024	Mr. Yadhister Meena	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम	9413419207
10.	30-10-2024	Ms. Mahima Chouhan	अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 5, अलवर	8583973559
11.	31-10-2024	Ms. Ritika Agarwal	अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3, अलवर	7388697342

**नोट- 1-**उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3-अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4-नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5-अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य करेंगे।


Sd/-  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

क्रमांक :- 3736/053 दिनांक :- 26.9.24

अ ल व र

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर/ भिवाडी/ खैरथल-तिजारा/ बहरोड-कोटपूतली
3. संबंधित पीठासीन अधिकारी .....
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अलवर/ ए डी पी ऑफिस, अलवर
5. कार्यालय प्रति/एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (समस्त थानाधिकारी/ पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करें)
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अ ल व र